भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3302

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना

3302. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोश्यारी समिति ने 186 व्यापार संगठनों जो कर्मचारी पेंशन योजना (ईवीएस) के अंतर्गत कवर है, के कर्मचारियों को 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता देने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न श्रमिक संघों से अभ्यावेदन और कर्मचारियों से 9000 रुपए के साथ सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता देने की मांग प्राप्त हुई है जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया है/किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात सार्वजनिक परिवहन में छूट दिए जाने जैसे विभिन्न श्रमिक संघों की किसी अन्य मांग पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उक्त मामले में पेशनभोगियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत सरकार के हिस्से में वृद्धि में वित्तीय अवरोध और कर्मचारी पेंशन निधि की संवहनीयता को बनाए रखने के कारण 3000/- रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई भत्ते हेतु कोशियारी समिति की सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया। तथापि, सरकार ने दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों के लिए 1000/- रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना आरंभ किया है।

(ख) से (घ): व्यक्तिगत ईपीएस, 1995 पेंशनभोगियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ पेंशनभोगी संघों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एवं जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। पेंशन निधि की संवहनीयता को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिवेदनों/ मांगों पर विचार किए जाते हैं।

(ङ): जी, नहीं।

*****